न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 172/2008 (बांसवाड़ा डिक्री)

तोलिया पुत्र वालजी, जाति भील, निवासी रूपाला पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अबला पिता लाबु जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. स्वर्गीय धारिया पिता लाबु जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल (मृतक) के विधिक वारिसान :–

2/1. सवजी पिता स्वर्गीय धारिया जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. सुरिया पिता लाबु जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. परतु पिता लाबु जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. स्वर्गीय हेमला पिता उंकार जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल (मृतक) के विधिक वारिसान :–

5/1. मोहन पुत्र स्वर्गीय हेमला जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/2. सोहन पुत्र स्वर्गीय हेमला जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/3. श्रीमती वजी पत्नी स्व. हेमला जी भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. स्वर्गीय श्रीमती बदनी बेवा उंकार, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल (नाम तर्क किया गया)
7. लालजी पुत्र वेलिया, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (नाम तर्क किया गया)
8. सुरिया पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. रायचन्द पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. रमण पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. स्वर्गीय शंकर पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल (मृतक) के विधिक वारिसान :–

11/1. श्रीमती कंकू बेवा स्व॰ शंकर जी भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11/2. नाकुडी कंकू बेवा स्व॰ शंकर जी भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11/1. शान्ति पिता स्व॰ शंकर जी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. मोहन पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

13. रावजी पिता लालजी, जाति भील, निवासी रूपालापाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

14. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी घाटोल
दिनांक 24–03–2007 एवं डिक्री दिनांक
23–11–2007 प्रकरण संख्या 80/2001

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री देवेन्द्र निगम अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभि.रे.सं. 1 से 5 व 11
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14

———::———

निर्णय **दिनांक 25–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125,

136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 8 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा ग्राम गणेशपुरा में स्थित है, जिसे वादीगण के पिता लाबुडा वल्द हीरा व मानजी वल्द दलिया व वालजी वल्द वेलिया भील ने मिलकर नोतोड़ निकाली व सेटलमेन्ट सन् 1940–41 लाबुडा, मानजी व वालजी के नाम दर्ज हुई व तीनों मिलकर कमाने लगे। सहखातेदार मानजी अविवाहित होने से फोत हो गये, जिस पर उक्त खाता वादीगण के पिता व सहखातेदार वालजी को कानूनन प्राप्त हो गया, परन्तु वादीगण के पिता की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 16–06–93 अवैध रूप से लालजी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत स्वीकृत हुआ। वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष जीवला के तीन पुत्र हीरा, दलिया व वेलिया हुए। हीरा के पुत्र लाबुडा हुआ, जिसके पुत्र वादीगण हैं। दलिया के मानजी हुआ जो कुंवारा फोत हो गया तथा वेलिया के पुत्र वाल हुआ व वालजी का पुत्र तोलिया प्रतिवादी संख्या 10 हुआ। मानजी वल्द दलिया के मरने पर दलिया वल्द जीवला व लालजी वल्द वेलिया प्रतिवादी संख्या 3 को मूलखातेदार वालजी के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 3 ने गलत इन्द्राज करवा लिया। मानजी लाऔलाद फोत हुआ व उक्त दलिया पिता जीवला भी फोत हो चुका है, जिसकी मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 104 द्वारा उक्त भूमि वादीगण, लालजी प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उंकार पिता जीवला के नाम गलत दर्ज हो गयी। उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। इसलिए उनके पक्ष में हुए इन्द्राज को निरस्त कराया जाकर रिकार्ड की शुद्धि करायी जानी आवश्यक है। मूलखातेदार लाबुडा के वारिस वादीगण हैं व वेलजी का वारिस तोलिया प्रतिवादी संख्या 10 है, जिनका उक्त भूमियों पर समान हक व अधिकार है। निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जाये।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार द्वारा औपचारिक जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 से 10 की ओर से प्रकरण में खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा त्रुटि पूर्ण सजरा प्रस्तुत किया गया है, जबकि सही सजरा जवाबदावे की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त वंशावली अनुसार 1/3 हिस्सा हीरा पिता जीवला के वारिसान का, 1/3 हिस्सा वेलिया पिता जीवला के वारिसान का तथा 1/3 हिस्सा हेमला पिता उंकार का बनता है। विवादित भूमि लाबुड़ा, मानजी व वालजी की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर मूल पुरूष जीवला पिता डूंगा ने नोतोड़ निकाली एवं जीवला के पुत्रों का इसमें समान हिस्सा है। खातेदार मानजी वल्द जीवला नहीं होकर मानजी वल्द दलिया है व वेलिया के पुत्र वालजी व लालजी हुए। नामान्तरकरण संख्या 104 विधि अनुसार दर्ज किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने काश्त कर मक्की व उडद की फसल ली है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को भूमि नहीं देना चाहते हैं एवं बेदखल करना चाहते हैं इसी कारण असत्य कथनों पर वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण का 100 वर्षो से अधिक कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जा भी परिपक्व हो चुका है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 10 का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण का 1/3 हिस्सा बनता है। अतएवं भूमियों का उपरोक्तानुसार विभाजन करने का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 10 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 38 के कुल खेत 8 कुल रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील घाटोल में स्थिति होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 एक मात्र मालिक, स्वामी व काबिज होकर काश्त कर रहे हैं ? ..... वादी
2. आया विवादग्रस्त खेत वादीगण के पिता लाबुडा पिता हीरा, मानजी पिता दलिया व वालजी पिता वेलिया ने नोतोड वक्त सेटलमेन्ट सन् 1940–41 में निकाली एवं उनके नाम से दर्ज होकर काश्त करने लगे एवं मानजी पिता दलिया लाऔलाद फोत हो जाने से उक्त खाता वादीगण के पिता व वालजी पिता वेलिया सहखातेदार दर्ज होकर काश्त करने लगे ?..... वादी

3. आया वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त खेत में लालजी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 16–06–1993 खोला गया जो अवैध होने से काबिल खारिज के है ?..... वादी

4. आया वाद चरण संख्या 2 में वर्णित वंशावली के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का खाता संख्या 38 में कानूनन कोई हक नहीं बनता है ?..... वादी

5. आया मानजी पिता दलिया लाऔलाद फोत हो जाने से विवादग्रस्त खेत का खाता दलिया पिता जीवला व वालजी पिता वेलिया मूल खातेदार के बजाय लालजी पिता वेलिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में जो इन्द्राज किया गया, वह काबिल खारिज के है ?..... वादी

6. आया दलिया पिता जीवला के फोत होने पर विवादग्रस्त खेत प्रतिवादीगण 1 से 9 के नाम बजरिये नामान्तरकरण संख्या 104 द्वारा खाते में इन्द्राज किया जो काबिल निरस्ती के है। उक्त जायदाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 की पैत्रृक है तथा प्रतिवादीगण 1 से 9 की कोई मौरूसी जायदाद नहीं है। इसलिए उपरोक्त खाता संख्या 38 वाके ग्राम गणेशपुरा का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 एक मात्र खातेदार घोषित होने के पात्र हैं ?..... वादी

7. आया विवादग्रस्त खेत पर प्रतिवादीगण 1 से 9 द्वारा दिनांक 20–07–1997 को अवैध तरीके से खेती में दखल का प्रयास करने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ ? ..... प्रतिवादी

8. आया विवादग्रस्त खेतों पर काबिज होने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ? ..... पवादी

9. आया वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न न हो इस हेतु बंटवारा बराबर–बराबर का करने के पात्र हैं ? ..... प्रतिवादी

10. अनुतोष ?

प्रकरण में वादीगण द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

की गयी व प्रदर्श भी नहीं करवाये गये तथा दिनांक 05–03–2003 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–03–2007 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण को विवादित भूमियों एक मात्र खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसकी डिक्री दिनांक 23–11–2007 को जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24–03–2007 व डिक्री दिनांक 23–11–2007 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2008 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट लम्बे समय से बीमार चल रहा है, जिससे व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकता। अपीलान्ट आदिवासी होकर गरीब अशिक्षित कृषक है तथा दिसम्बर 2007 से लगातार बीमार रहा। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ न्यायहित में गरीब अशिक्षित काश्तकार को दृष्टिगत रखते हुए अखण्डित शपथ पत्र व प्रकरण की नोहियत को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व 11 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 10 व 12, 13 की ओर से वकील श्री शकील मोहम्मद उपस्थित हुए, परन्तु दौराने बहस वे अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 राज्य सरकारी की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की मृत्यु हो जाने से व उनके वारिसान पूर्व से रेकार्ड पर होने से उनके नाम तर्क किये गये।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ

न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के हक में वादग्रस्त भूमि बाबत् लिखतम 5000/– रूपये में कर दी, जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा। रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण व अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 के मध्य निष्पादित उक्त दस्तावेज ईकरारनामा तलाश करने पर अब मिल गया है, जिसे न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

उक्त इकरारनामें पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उक्त इकरारनामा दिनांक 20–05–2006 को निष्पादित हुआ है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2007 का है, तो उक्त इकरारनामा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त इकरारनामा न तो स्टाम्प पर है, न ही पंजीकृत है। अतएवं उक्त इकरारनामे को अपील स्तर पर लिये जाने का कोई आधार नहीं है। वैसे भी इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। तद्नुसार उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। अतएवं आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट के प्रमुख उजर यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, जो कि बिना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किये बिना पारित किया गया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है तथा सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की है एवं प्रकरण को आवेदन पर ही निस्तारित कर अंतिम निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर

मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से पृथक जाकर एवं अपने तनकीवार निर्णय से पृथक जाकर तोलिया अपीलान्ट का नाम खातेदारी घोषणा से हटाकर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से पृथक जाकर निर्णय पारित किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2007 व डिक्री दिनांक 23–11–2007 अपास्त की जाती है तथा हस्ब वाद अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 को वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

तोलिया पुत्र वालजी, जाति भील निवासी रूपाला पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा बनाम **अबला पिता लाबु जी, जाति भील, निवासी रूपाला पाड़ा, मजरा काना डोकी का पाड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**172 / 2008**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**03**.....**2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री देवेन्द्र निगम** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2007 व डिक्री दिनांक 23–11–2007 अपास्त की जाती है तथा हस्ब वाद अपीलान्ट / प्रतिवादी संख्या 10 को वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।